(124)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF23182

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. /09 निगरानी

R. 766 – I/09

महेन्द्र सिंह पुत्र मरी किरार
निवासी ग्राम सालोन बी तह. भाण्डेर
जिला दतिया म.प्र.

---आवेदक

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मरी किरार
2. नारायण सिंह } पुत्रगण श्री जगदीश
3. राजेन्द्र सिंह } प्रसाद

निवासीगण ग्राम सालोन बी तह. भाण्डेर
जिला दतिया म.प्र

---अनावेदकगण

22/06/09
I.S. Dhakad
Adv.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्रक. 285/निगरानी/07–08 मे पारित आदेश दि. 31–03–09 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमि खाता क. 107 वर्ष 1996–97 में बंदोवस्त कार्य चालू होकर आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा कराया था। उक्त सर्वे क. 1414 मिन 1443 नं. के थे। बंदोवस्त पश्चात निर्मित नये सर्वे क. 1490 व 1519 रकवा 0.209 है. व सर्वे क. 1421 को नये सर्वे नं. 1491 व 1557 रकवा 0.089 है., सर्वे क. 1423 के नये सर्वे क. 1497 रकवा 0.599 है., सर्वे क. 1424 के नये सर्वे क. 1498 रकवा 0.291 है. व सर्वे क. 1426, 1424 के बंदोवस्त के बाद नये सर्वे क. 1500, 1503 कायम किये गये तथा सर्वे क. 1426 रकवा 2.606 है. व सर्वे क. 1443 रकवा 0.344 आरे कुलकिता 6 कुल रकवा 4.138 है. आवेदक एवं अनावेदक सहखातेदार होकर समान भाग 1/2 थे। खात क. 108 में सर्वे क. 1422 के बंदोवस्त के पश्चात 1496 रकवा 0.190 है. एवं अनावेदक जगदीश प्रसाद के नाम एवं खात क. 153 में सर्वे क. 1425 को नये सर्वे क. 1499 रकवा 0.283 है. अनावेदक देवेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह के नाम समान भाग 1/2 आवेदक एवं अनावेदक क. 1 समान भाग 1/2 के सहखातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज थे।

R- 766 -I/2009
जिला - दतिया

10/8/18	आवेदक अभि० ~~की~~ अनुपस्थित। अना- अभि० श्री- अशोक भार्गव उपस्थित। आवेदक एवं आवेदक अभि० के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। [signature] सदस्य	[signature] अशोक भार्गव

[कृ. प. उ.